न्यायालय—सिविल जज सिनियर डिवीजन प्रथम, डुमरॉव

विविध वाद सं0 —46/2023

भगवती महतो.............................वादी।

बनाम्

श्री भगवान महतो वगै0...............................प्रतिवादीगण।

आदेश

24.01.2026

आवेदेक की हाजिरी है। पुकार पर वादी के विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुये। आवेदक के तरफ से दाखिल आवेदन दिनांक 07.08.2024 अतंर्गत आदेश 22 नियम 03 सी0पी0सी0 को प्रचालित करते हुये आवेदक के विद्वान अधिवक्ता यह कथन करते हैं कि इस वाद के आवेदक भगवती महतो की मृत्यु दिनांक 21.05.2024को हो चुकी है तथा अनुरोध करते हैं कि आवेदक भगवती महतो का नाम कलमजद करने का आदेश दिया जाय तथा उनके वारीसान प्रवीर कुमार, मृत्यंजंय कुमार, अमृता देवी, कमारी बावनबीर उर्फ अलका का नाम प्रतिस्थापित करने का आदेश दिया जाय।

सुना व अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से विदित होता है कि आवेदक द्वारा दाखिल आवेदन शपथ पत्र से समर्थित है और समय सीमा के अन्दर है। अतः आवेदक के तरफ से दाखिल आवेदन दिनांक 07.08.2024 अतंर्गत आदेश 22 नियम 03 सी0पी0सी0 को न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है। कार्यलय आवेदनानुसार आवेदक भगवती महतो का नाम कलमजद कर उनके वारीसान उनके वारीसान प्रवीर कुमार, मृत्यंजंय कुमार, अमृता देवी, कमारी बावनबीर उर्फ अलका का नाम प्रतिस्थापित करे।

दिनांक—07.03.2026 वास्ते अपेक्षिकाएँ हेतू।

लेखापित

(गौरी शंकर)
सिविल जज सिनियर डिवीजन प्रथम,
डुमरॉव (बक्सर)